पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

वीरी

ग्राम पंचायत - लोलकपुर

ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा

तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - पुराने समय में गांव में वीर सिंह नाम के बुजुर्ग रहते थे जो वीरोज माता जी के भक्त थे। वीर सिंह के नाम से ही गांव का नाम वीरी पड़ा। गांव करीब 300 साल पुराना है। यह गाँव आदिवासी परिवार के पूर्वजों ने बसाया था। वे मूलतः चित्तौड़गढ़ से थे और वहाँ से आकर डूंगरपुर क्षेत्र में अस्थाई रूप से निवास कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने जंगल की जमीन पर कब्ज़ा कर लिया और स्थाई रूप से अपना निवास बना लिया। कुछ परिवार माथुगामड़ी गांव से आकर के वीरी में बस गए। पुराने समय में गांव हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और आसपास विभिन्न प्रकार के अलग-अलग प्रजातियों के पशु और पक्षी तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उगा करती थी। धीरे-धीरे जंगल नष्ट होते गए और अब सारी पहाड़ियां नंगी है और पशु-पक्षी भी पलायन कर गए हैं।

गाँव का एक परिचय - जिला मुख्यालय डूंगरपुर से 20 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में गाँव बसा है। वीरी की ग्राम पंचायत लोलकपुर ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा, तहसील एवं जिला - डूंगरपुर है। गांव में गांव सभा का गठन और शिलालेख 19 मार्च 2018 को हुआ था। गांव के कुछ लोगों को पेसा कानून की जानकारी है। गांव सभा की बैठक में लोग रुचि लेना पसंद नहीं करते थे। अब वागड़ मजदूर किसान संगठन के द्वारा किए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं की मेहनत से गांव सभा में लोग आने लगे हैं। गांव का पूरा रकबा लगभग 500 बीघा है। गांव की कृषि जमीन 270.157 बीघा है और गांव की बेनामी जमीन लगभग 194.88 बीघा का है। गांव में जंगल की जमीन नहीं है चारागाह की जमीन 24.387 बीघा है। गांव में फलों की संख्या 5 है जो वीरी चक, बड़ला फला, कटारा फला, रोत फला और मईड़ा फला है। गांव में राशन की दुकान नहीं है। राशन की दुकान लोलकपुर में है। बिजली की सुविधा करीब 25% घरों में ही है। बिजली की सुविधा नहीं होने से बाकी लोग अँधेरे में ही जीवन यापन करते हैं। पोस्ट ऑफिस गांव सेलज में है जो गांव से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। बस स्टैंड गांव से हिराता (10 किलोमीटर) दूर है। निकटतम पुलिस थाना वरदा में है जो गांव से 15 किलोमीटर दूर है। अनुसूचित जनजाति में रोत, कटारा, मईड़ा, दामा और ननोमा उपजातियों के लोग रहते हैं। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में और सामान्य वर्ग से कोई निवास नहीं करता है।

आवागमन की स्थिति - वीरी गाँव जाने के लिए डूंगरपुर जिला मुख्यालय से जीप मिलती है जो लोलकपुर गाँव के बस स्टेंड तक छोडती है। लोलकपुर बस स्टेंड से तीन किलोमीटर पैदल चलने के बाद वीरी पहुँच सकते हैं। लोलकपुर से वीरी गाँव में जाने के लिए रोड़ तो बना हुआ है लेकिन कोई साधन नहीं चलता है। वहां से लोग तीन से पांच किलोमीटर पैदल चलकर अपने-अपने घरों को जाते हैं। वीरी गाँव में जाने लिए कभी-कभी ऑटो मिलता है वह पूरा भरने के बाद ही चलता है। गाँव में एक पक्की सड़क है जो लोलकपुर स्कूल से माला चौकी बस स्टेंड जाती है। जो अब कहीं-कहीं टूट-फूट गई है। गाँव में एक आर.सी.सी. रोड़ भी है। गाँव में कुछ कच्चे रास्ते है और ज्यादातर लोगों के घरों तक आने जाने के लिए पगडण्डी है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गांव में एक आंगनवाड़ी है। गांव में 2 विद्यालय हैं। एक प्राथमिक विद्यालय जिसमें बच्चों की संख्या करीब 54 और अध्यापकों की संख्या दो है और दूसरा उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसमें बच्चों की संख्या 121 और अध्यापकों की संख्या 4 है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वीरी में मरम्मत कार्य की आवश्यकता है। पढने के लिए कमरों की कमी है जिनका निर्माण करने की जरूरत है। साथ ही अध्यापकों की भी कमी है। विद्यालय में छात्रों के लिए पेयजल की व्यवस्था भी ठीक नहीं है तथा शौचालय निर्माण की भी जरूरत है। गाँव में बीमार लोगों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गांव का नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र लोलकपुर में है जो गांव से 3 किलोमीटर दूर है। गम्भीर मरीजों को सरकारी अस्पताल डूंगरपुर ले जाते हैं जो गाँव से 20 किलोमीटर दूर है। मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस जीप अथवा जीप(निजी साधन) से ले जाते हैं। गांव का पशु चिकित्सालय भी गांव से 3 किलोमीटर दूर है। मरीजों को घर से 108 एम्बुलेंस पर फोन करके अथवा निजी साधन द्वारा अस्पताल ले जाना पड़ता है और घर से मुख्य सड़क तक मरीजों को चारपाई या झोली में लिटा कर पहुंचाना पड़ता है। गाँव में पशु चिकित्सालय भी नहीं है वह आंतरी में है। 9वीं से 12वीं तक पढ़ने के लिए बच्चों को लोलकपुर(3-5 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। पहाड़ी रास्ता होने के कारण साइकिल से आना-जाना संभव नहीं हो पाता है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चों को डूंगरपुर जाना पड़ता है।

गाँव की समस्याएं -

आवागमन की कमी - गाँव में लोगों के घर पहाड़ियों पर होने के कारण वीरी गाँव में आवागमन की समस्या है क्योंकि कहीं आने जाने के लिए जीप/टेम्पो लोलकपुर से मिलता है। गाँव से तीन से पांच किलोमीटर पैदल चलने के बाद लोलकपुर पहुँच सकते हैं। गाँव से लोलकपुर जाने के लिए रोड़ तो बना हुआ है लेकिन कोई साधन नहीं चलता है। वीरी गाँव से लोलकपुर जाने के लिए एक-डेढ़ किलोमीटर पैदल चलने पर कभी-कभी निजी साधन मिलते है, लेकिन वह वाहन मालिक की मर्जी से ही चलती है इसलिए कई बार मजबूरी में लम्बा इन्तजार करना पड़ता है जो गाँववालों की आदत बन चुकी है। गाँव में एक पक्की सड़क है जो अब कहीं-कहीं टूट-फूट गई है। गाँव में एक आर.सी.सी. रोड़ है। गाँव में कुछ कच्चे रास्ते है और ज्यादातर लोगों के घरों तक आने-जाने के लिए पगडण्डी है। वाहनों को उबड़-खाबड़ जमीन होने से और रोड़ नहीं होने से गाँव के अंदर तक आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गाँव में रास्ते के अभाव से सबसे ज्यादा परेशानी बीमार, बूढ़े और बच्चों को होती है। बीमार लोगों को अपने घरों से गाँव की सड़क तक लाने के लिए चारपाई अथवा झोली में लिटा कर लाना पड़ता है और बच्चों को पहाड़ी रास्तों पर पैदल चल कर विद्यालय जाना पड़ता हैं।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव में समतल जमीन बहुत कम है। पहाड़ियों की घाटी में कुछ ही समतल जमीन है। वह भी कुछ लोगों के पास है बाकी लोगों के पास पहाड़ों की ढलानें, उबड़-खाबड़ तथा पथरीली जमीन है। गाँव के सारे पहाड़ खाली पड़े है कहीं-कहीं बबूल और सागवान के पेड़ हैं। गाँव के किसानों में वृक्षारोपण के प्रति भी भय व्याप्त हैं। वह समझते हैं कि जिस तरह से सरकार ने जंगल पर वन विभाग का कब्जा करा दिया है। उसी तरह अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो हमारी जमीन को भी वन विभाग कब्जे में कर लेगा जिसके चलते वृक्षारोपण के प्रति उनकी उदासीनता है। गाँव में गर्मियों में पानी का संकट बढ़ जाता है। पीने के पानी को दूर-दूर से चल कर लाना पड़ता है। गाँव में से एक नाला निकलता है जिसमें बरसात में पानी भरा रहता है। उसके बाद वह सूख जाता है। गाँव के नाले पर कोई एनीकट नहीं बना है नाले और तालाब में बरसात का पानी रोक कर पूरे वर्ष उसे जीवंत बनाए रखने की गाँव के पास कोई भी योजना नहीं है। गाँव का भूजल-स्तर लगातार नीचे जा रहा है। गर्मियों में बोरवेल में भी पानी कम हो जाता है। मार्च के बाद अधिकतर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। पानी के संकट को दूर करने की योजना या कार्य नीति अभी तक नहीं है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गाँव में कृषि के लायक भूमि या तो बहुत कम है या किसी के पास है भी तो वह पहाड़ों की घाटी में है। बाकी लोगों के पास पहाड़ों की ढलान वाली, उबड़-खाबड़ पथरीली खेती है। जिन लोगों के पास निजी ट्यूबवेल है वह लोग अपनी समतल जमीन में धान और गेहूं पैदा करते हैं। बाकी लोग केवल बरसात में होने वाली फसल पर ही निर्भर करते हैं। सूखे की स्थिति में उनकी खेती से कोई उपज नहीं मिल पाती है। धान, गेहूं, मक्का,सोयाबीन और उड़द उनकी मुख्य फसल है। जिनके पास समतल जमीन है और वह धान, गेहूं और चना पैदा कर पाते हैं तो उनको 4 से 6 महीने खाने भर का अनाज हो जाता है। बाकी लोग 2 से 4 महीने ही खाने भर का अनाज पैदा कर पाते हैं। वह भी प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। अपनी स्वयं की खेती के अलावा मनरेगा में मजदूरी ही मात्र गाँव में रोजगार का साधन है। खेती भी इतनी नहीं है कि वह पूरे परिवार का भरण पोषण कर सके। मनरेगा में मजदूरी की दशा खेती से भी बदतर है। पूरे वर्ष में साठ से सत्तर दिन काम और सत्तर से नब्बे रु. रोज की मजदूरी मिलती है। नरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उनको ना तो सौ दिन पूरे काम मिलता है और ना ही पूरी मजदूरी मिल पाती है। यह मनरेगा भी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए रोजगार का साधन नहीं बन सका है। बदहाली और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा जिले के नजदीक के शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर वहां उनको कोई काम मिलता है तो ठीक नहीं तो बिना काम वह वापस घर चले आते हैं और फिर दूसरे दिन उसी मजदूर मंडी में पहुंच जाते हैं। जिले के निकट के शहरों में काम नहीं मिलने से गाँव के करीब 150 लोग गुजरात के शहरों जैसे- अहमदाबाद, वापी, शामलाजी या महाराष्ट्र के मुम्बई में मजदूरी करने जाते हैं। जहां वह ढाई सौ से तीन सौ रु. की दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। पशुपालन में लोग

गाय भैंस बैल बकरी इत्यादि पालते हैं लेकिन देसी नस्ल होने के कारण उनसे भी दूध मात्र बच्चों के पीने भर का ही होता है। चारे का अभाव होने के कारण उन्हें वर्ष में पांच महीने का चारा बाजार से खरीदना पड़ता है। गांव में केवल दो लोग सरकारी नौकरी में हैं एक पंचायत समिति में है तथा दूसरे स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है।

गाँव में उपलब्ध संसाधनों की हालत और संभावनाएं -

संसाधन	**हालत**	**संभावनाएं**
जल नाला - 1 कुआं - 60 बोरवेल - 10 हैंड पंप - 40	गाँव के बीच में एक नाला निकलता है। उस पर एक एनिकट बना हुआ है। जिसमें बरसात में पानी भरा रहता है। बरसात के बाद में वह पानी सूख जाता है। गाँव से एक नदी भी निकलती है जिसमें बरसात में ही पानी रुकता है। बरसात के बाद में नदी बिलकुल सूख जाती है। गाँव से आगे जाने पर मार्गीय महुड़ा में नदी पर बांध बना हुआ है। बांध के कारण दिसम्बर माह तक गाँव में कुछ दूरी तक नदी में पानी रहता है। वह भी दिसम्बर के बाद खत्म हो जाता है। गाँव के करीब दस लोगों ने अपने निजी बोरवेल करवा रखे है जिनमें भी गर्मी के दिनों में जलस्तर नीचे चला जाता है। गाँव में तीन हैण्ड पम्प है।	गाँव में नाले पर बने एनीकट की मरम्मत करके और योजनाबद्ध तरीके से नए एनिकट बनाकर नदी और नाले के पानी को पूरे वर्ष तक रोका जा सकता है। गाँव के चारों तालाब का गहरीकरण और मरम्मत करके तालाब भी पूरे वर्ष तक पानी रोका जा सकता है। नाले और तालाब में पूरे वर्ष पानी रुकने से गाँव के अधिकतर लोगों के सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा सकती है और गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकता है। भूजल स्तर ऊंचा होने से कुओं में भी वर्ष भर पानी रहने से पीने के पानी और सिंचाई की संभावना बढ़ जाएगी। पुराने कुओं की मरम्मत करके अशुद्ध पीने के पानी से मुक्ति भी पाई जा सकती है। हैंडपंप की मरम्मत करके लोगों को गर्मियों में पानी के संकट से छुटकारा दिलाया जा सकता है और ट्यूबवेल से पानी निकालने पर गाँव सभा को निर्णय करना होगा। पानी के संकट से छुटकारा पाने के लिए गाँव सभा से पंचवर्षीय योजना तैयार करवाकर इस पर तुरंत अमल करने की जरूरत है।

जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	गाँव की थोड़ी ही जमीन समतल है बाकी पहाड़ी ढलानवाली, उबड़-खाबड़, पथरीली है। समतल जमीन कुछ ही उपजाऊ है। बेनामी जमीन पर भी लोगों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है। बाकी जमीन असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	गाँव में जितनी जमीन है उसके आधी जमीन पर खेती होती है और विला नाम भूमि तथा आधे चरागाह पर भी खेती की जाती है। गाँव की ज्यादातर जमीन पहाड़ और पथरीली तथा उबड़-खाबड़ होने से खेती में उत्पादन बहुत कम होता है खेती, वृक्षारोपण, मछलीपालन की बेहतर योजना और प्रबंधन से गाँव के लोगों की आय बढाई जा सकती है। जो जमीन सिंचित है उस पर खेती करने तथा संपूर्ण असिंचित जमीन पर बागवानी करने से गाँव के लोगों की आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। चारागाह की भूमि का बेहतर प्रबंधन करने और उन्नत नस्ल के दुधारू जानवर पालने की बेहतर योजना से लोग दूध के व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। जंगल को पुनर्जीवित करके उससे लघु वन उपज भी ले सकते हैं। जिससे गाँव के लोगों की आय का स्रोत को बढ़ाया जा सकता है। गाँव तक नदी, नाले और तालाब में पानी रोकने की व्यवस्था करके सिंचाई की भी व्यवस्था की जा सकती है। यह सब करने के लिए गाँव के लोगों को जागरूकता और सामूहिक भावना की बेहद जरूरत है। अगर योजनाबद्ध तरीके से खेती/बागवानी/पशुपालन/मछली पालन/छोटे व्यवसाय के लिए लोग सोचना और समझना शुरू करें तो गाँव से नौजवानों के पलायन को रोका जा सकता है और गाँव में ही

		रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। भले ही वह सीमित ही क्यों ना हो।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव में लोग खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बैल तथा बकरी भी पालते हैं। पशुओं के लिए चारा गाँव के लोगों के पास मार्च तक खत्म हो जाता है। मार्च के बाद लोगों को चारा खरीद कर खिलाना पड़ता है। बरसात होने पर जब घास उगती है तब जाकर उनको चारा खरीदने से राहत मिलती है। चारे के अभाव में उनके पशु गर्मियों में बहुत कमजोर हो जाते हैं। पौष्टिक चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है। चारे की कमी के साथ-साथ अच्छी नस्ल भी नहीं होना दूध कम देने का कारण है। गाँव के आधे चरागाह पर लोगों का कब्जा है और बचे हुए चरागाह की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। उसमें चारा प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। गाँव में जंगल की जमीन में कटीले बबूल और झाड़ियां होने से चारा कम ही मिल पाता है। गर्मियों के दिनों में पहाड़ियों पर घास होती ही नहीं है। पशुओं के चारे और अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था गाँव की पहाड़ियों और बेकार पड़ी जमीन से और सरकारी विभागों के सहयोग से की जा सकती है। इसके लिए गाँव के लोगों को सामूहिक रूप से बैठकर अपनी सहमति से कृषि और पशुपालन विभाग की मदद से चारे और देसी की जगह अच्छी नस्ल के पशुओं की समस्या का समाधान किया जा सकता है और पशुपालन से लोगों के आय के साधन बढ़ाए जा सकते हैं।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, आवास, राशन, श्रमिक कार्ड, मनरेगा में सौ दिन काम, पूरी मजदूरी एवं समय से मजदूरी का भुगतान नहीं मिल पाता है। कुछ तो उनकी अज्ञानता के कारण और बाकी सरकारी विभागों तथा गाँव के जनप्रतिनिधियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। सबसे दुखद तो विकलांगों को तक सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है वह पेंशन हो अथवा आवास। सरकारी दुकान पर प्रति व्यक्ति प्रति महीने 5 किलो गेहूं के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। बड़ी परेशानी गाँव वालों को मिट्टी का तेल नहीं मिलने से होती है। जिन लोगों के पास बिजली के कनेक्शन नहीं है, उनको रात अंधेरे में गुजारनी पड़ती है। रात में बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई है। उन लोगों के लिए यह स्थिति नहीं है जो बाजार से 70 रु. प्रति लीटर मिट्टी का तेल खरीद सकें। पेंशन पाने की उम्र हो जाने पर भी लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती है। न तो उनका कोई आवेदन करने वाला है न ही कोई उम्र संशोधन करवाने वाला। मनरेगा में सामान्यतया वार्ड पंच लोगों का आवेदन तो करवाते हैं लेकिन आवेदन की रसीद नहीं देते हैं जिसके कारण उनको 100 दिन का काम नहीं मिल पाता है। मस्टर-रोल में फर्जी नाम डाल देने से उनको पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है। 100 दिन काम नहीं मिलने से श्रमिक कार्ड से भी लोग वंचित हो जाते हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - गाँव में खेती और मनरेगा में मजदूरी करने के अलावा लोगों को गाँव में अन्य कोई भी काम नहीं मिलता है। एक तो कृषि-जमीन की कमी दूसरे पूरे वर्ष भर एक ही फसल होने से उनको 2 से 6 महीने खाने भर का ही अनाज पैदा होता है। सरकारी राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति प्रति महीने मात्र 5 किलो गेहूं के आलावा कुछ भी नहीं मिलता है। यह सब उनके परिवार के साल भर के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। भोजन के अलावा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग निकट के बाजारों या डूंगरपुर की मजदूर मंडी में काम की तलाश में जाते हैं। काम अगर मिल गया तो ठीक नहीं तो खाली हाथ घर जाना पड़ता है। महीने भर में उन लोगों को यहां 15 से 20 दिन ही काम मिल पाता है। मनरेगा में मजदूरी भी 60-70 दिन ही मिलती है और मजदूरी भी सौ रुपए से कम ही मिलती है। इसलिए गाँव के ज्यादातर युवा दूसरे प्रांतों खासकर गुजरात और मुंबई में मजदूरी की तलाश में चले जाते हैं। वहां भी उनको मुश्किल से ढाई सौ से तीन सौ रु. तक की दैनिक मजदूरी पर काम करना पड़ता है। किसी तरह से लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे और सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी है बाकी लोग अशिक्षा और गरीबी के कारण बदहाली में अपना जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	रास्ते की समस्या	**सार्वजनिक**	रास्ते के संकट का कारण सरकार की उपेक्षा एवं पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पक्षपातपूर्ण रवैया है। जो सड़क बनाई जाती है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं होने से वह दो तीन वर्षों में ही टूट जाती है। कच्चे रास्ते एक बार बना देने के बाद उसकी मरम्मत भी नहीं की जाती है। गाँव के लोगों का रास्ते के लिए जमीन न देना भी रास्ते निर्माण में एक बड़ी बाधा है।	रास्ते के संकट से निपटने के लिए गाँव सभा द्वारा जहां रास्ते नहीं है वहां के लिए प्रस्ताव लिया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक में गाँव सभा के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करके पंचायत स्तरीय एक्शन प्लान में रास्ते के सभी प्रस्ताव शामिल करने की गाँव सभा ने योजना बनाई है और सतर्कता समिति का भी गठन किया है जो गाँव सभा में होने वाले किसी भी कार्य की निगरानी करेगी तथा रास्ते	**तात्कालिक**

				के बीच में जिन लोगों की जमीन आ रही है उन लोगों से भी सहमति बनाने का प्रयास गाँव सभा द्वारा किया जा रहा है।	
2	शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं होना	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों का शैक्षणिक स्तर बहुत ही खराब है। उन्हें पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक हैं और न ही छात्रों के बैठने हेतु कमरे। जो कमरे हैं उनमें से भी चार कमरों की छत से बरसात में पानी टपकता है। बच्चों को शुद्ध पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं।बच्चे हैंडपंप द्वारा जो पानी पीते हैं उस में फ्लोराइड की मात्रा काफी अधिक है जिससे बाद में बच्चे फ्लोरोसिस रोग के शिकार हो जाते हैं।	गाँव सभा गठन के बाद गाँव सभा की बैठक करके विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति और विद्यालय भवन की मरम्मत तथा पानी की व्यवस्था ठीक करने और आंगनवाड़ी भवन निर्माण तथा उसकी मरम्मत करने के प्रस्ताव लिए गए हैं। गाँव सभा में यह भी निर्णय लिया गया है कि विद्यालय और आंगनवाड़ी की समस्या के समाधान के लिए गाँव सभा द्वारा शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। यह समस्या ब्लॉक के हर गाँव में है इसलिए ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों को एक साथ बैठकर इस समस्या से निपटने की योजना तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है।	**तात्कालिक**
3	कृषि समस्या	**सार्वजनिक**	गाँव की कृषि व्यवस्था लगभग प्रकृति पर निर्भर है। उबड़ खाबड़ पथरीली और पहाड़ियों की ढलान वाली जमीन पर जो खेती होती है	खेत का समतलीकरण।बरसात के पानी को रोकने के लिए नदी नालों पर एनीकट निर्माण और पुराने एनिकट की मरम्मत के अलावा	**तात्कालिक**

			उसमें उत्पादन भी बहुत ही कम होता है। संकट तब और बढ़ जाता है जब उन्नतशील बीज और खाद भी नहीं मिलती है। गाँव की बहुत सारी जमीन भी बेकार पड़ी हुई है। गाँव से निकलनेवाली नदी में पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से नदी और नालों का सारा पानी निकल जाता है। जिसके लिए गाँव के लोगों के पास कोई योजना नहीं है।	तालाबों का गहरीकरण और मरम्मत खेत तलावड़ी, मेड़बंदी कच्चे डैम निर्माण करके गाँव में सिंचाई के संकट का समाधान किया जा सकता है जिससे पूरे गाँव में कृषि का उत्पादन बढाया जा सकता है, वृक्षारोपण, मछलीपालन करके गाँव के सभी लोगों की आय को बढाया जा सकता है। खेती के साथ-साथ बागवानी पर भी ध्यान देकर और उन्नतशील बीज तथा खाद की उपलब्धता के साथ कृषि जमीन की उर्वराशक्ति को बढ़ाकर उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है।	
4	काबीज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना	**सार्वजनिक/ व्यक्तिगत**	गाँव के लोग सैकड़ों साल से गाँव में बसे हुए हैं जिस भूमि पर वह काबीज है। वह उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं है। जमीन का हक नहीं मिलना आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। जमीन सुधार की योजना सरकार के पास नहीं है।सरकार की अघोषित नीतियों के कारण किसानों को अपनी काबिज भूमि पर अधिकार पत्र देना	गाँव के लोगों ने काबीज भूमि पर पट्टे का दावा तो पहले से कर रखा है, लेकिन उसकी पैरवी के प्रति लोगों में उदासीनता के चलते पट्टे नहीं मिल रहे हैं। गाँव सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि गाँव के लोग जितनी भूमि पर काबिज है उसके दावे की फाइल तैयार करके गाँव सभा द्वारा दावा कराया जाएगा और जिनके पट्टे मिल गए हैं उनके नियमन के दावे की भी जिम्मेदारी	**दीर्घकालिक**

			राजस्व विभाग ने बंद कर दिया है।किसानों में एक प्रकार से भय पैदा हो गया है इसलिए भी खेती की बेहतर योजना बनाने के प्रति उदासीनता व्याप्त है कि सरकार कब उनकी जमीन छीन लेगी! ऐसी आशंका उनको हमेशा सताती रहती है।	गाँव सभा द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए गाँव सभा ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है।	
5	आवास/शौचालय निर्माण और उसके भुगतान संबंधी समस्या	**व्यक्तिगत**	आवास निर्माण में पंचायत द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया के कारण जरूरतमंद लोगों को आवास नहीं मिल पाता है। जिनका आवास निर्माण होता भी है तो उनको घूस के रूप में दस हजार रु. का भुगतान पहले करना पड़ता है। शौचालय के लिए पहले गाँव के लोगों को शौचालय बनाना पड़ता है। फिर भुगतान किया जाता है। उसके लिए भी लोगों को सेवा शुल्क(घूस) देना होता है। सेवा शुल्क देने के बाद भी गाँव के कुछ लोगों को शौचालय का भुगतान नहीं मिला है।	गाँव सभा ने इस समस्या के समाधान के लिए बैठक में जरूरतमंद लोगों के आवास निर्माण और बकाया भुगतान के लिए आवेदन करने की कमेटी बनाकर उसे इसकी जिम्मेदारी दी गई है।	**तात्कालिक**

6	पेयजल की समस्या	**व्यक्तिगत**	गाँव में गर्मियों के दिनों में लोगों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। भू-जल स्तर नीचे चले जाने से ज्यादातर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है। जिससे उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता है। गाँव में बरसात के पानी को रोकने की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं होने से संकट लगातार बढ़ रहा है।	समाधान बरसात के पानी को पूरे वर्ष नदी नाले और तालाब में रोकने की योजना बनाना बरसात के पानी को फिल्टर करके पीना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths **शक्तियां**	**W- Weakness** **कमजोरी**	**O- Opportunities** **अवसर**	**T- Threats** **चुनौतियां**
आवागमन - गाँव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं करना।पगडंडी को चौड़ा नहीं करना।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी। मरीजों को सुविधा पूर्वक अस्पताल पहुंचाया जा सकता है।	गाँव कमेटियों का मजबूत ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।
जल नाला एनीकट कुआं बोरवेल हैंड पंप नदी	पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव के तालाबों की मरम्मत और गहरीकरण नहीं करना।	पुराने एनीकट की मरम्मत और नए एनिकट बनाना। नदी पर बांध बनाने की योजना। गाँव के तालाब का गहरीकरण और मरम्मत	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता। साथ ही साथ जल

	गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी।	करके तथा बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू-जल स्तर को भी ऊँचा किया जा सकता हैं।	संरक्षण की चल रही योजनाओं की जानकारी का अभाव।
आजीविका के साधन - मनरेगा, कृषि भूमि, तालाब(मछली पालन) एनिकट(मछली पालन)	खेती की जमीन और फसल उपज कम होना। गाँव में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होना। पशुपालन के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव और चारे का अभाव में दूध और मांस का कम उत्पादन होना। गांव में मजदूरी के अवसर कम मिलना। पानी और जमीन की समस्याओं के कारण बागवानी भी नहीं कर पाना। मछली पालन नहीं करना।	गाँव में खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन। अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन। सब्जी की खेती तथा उन्नतशील बीज और खाद का प्रयोग कर आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं। तालाब की मरम्मत तालाब का गहरीकरण और मछली पालन करना।	गाँव सभा का मजबूत नहीं होना। गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। उबड़-खाबड़ और पथरीला और ढलान वाली होना। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा।सभी	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना।जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना।गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव।सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का

	लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। जमीन का समतल में होना	कराना।खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना। जंगल को फिर से हराभरा करना।	अभाव।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

नजरिया नक्शा

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	पेंशन के संबंध में	
	वृद्धा पेंशन	8
	विकलांग पेंशन	1
	एकल नारी पेंशन	2
2	प्रधानमंत्री आवास निर्माण	9
	प्रधानमंत्री आवास निर्माण की बकाया किस्त भुगतान	1
3	शौचालय निर्माण की बकाया किस्त भुगतान	2
4	विद्यालय के संबंध में	1
	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वीरी में	
	मरम्मत कार्य	
	नया भवन निर्माण	
	कमरों का निर्माण - 6	
	अध्यापकों की नियुक्ति -	
	पेयजल की व्यवस्था	
	शौचालय का निर्माण	
5.	आंगनवाड़ी के संबंध में आंगनवाड़ी में कमरा निर्माण - 1 चाईना मोजेईक(छत म्ररम्मत) शुद्ध पेयजल की व्यवस्था डूंगरा फला में आंगनवाड़ी भवन निर्माण	1
6.	उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण	1
7	राशन की दुकान हेतु भवन निर्माण करवाना पुरानी वीरी स्कूल पीपल के पास	1
8	पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में	1
9	सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में	1
10	गांव के आपसी विवाद को गांव सभा में निपटाने के संबंध में	1
11	सामाजिक कुरीतियों के संबंध में - डायन प्रथा पर रोक मौताणा प्रथा पर रोक बाल विवाह पर रोक	1

	बाल श्रम पर रोक	
12	तालाब निर्माण के संबंध में	1
13	चेक डैम निर्माण के संबंध में	4
14	नाले पर रिंगवाल निर्माण के संबंध में	2
15	रास्ता निर्माण के संबंध में	
	कच्ची सड़क	1
	सी.सी. सड़क	3
	डामर सड़क	2
16	केटेगरी 4 के कार्य खेत समतलीकरण पशु बाड़ा निर्माण खेत तलावडी निर्माण कुआ निर्माण/गहरीकरण/मरम्मत और मेडबंदी के संबंध में	81
17	नए हैंडपंप	9
	हैंडपंप मरम्मत	2
18	एनीकट निर्माण के संबंध में	6
19	श्मशान घाट के संबंध में	1
20	श्रमिक कार्ड बनाने के संबंध में	4
21	बिजली कनेक्शन के संबंध में	21
22	बिलानाम भूमि पर व्यक्तिगत दावा करने के संबंध में	1
23	काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा करने के संबंध में	1

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

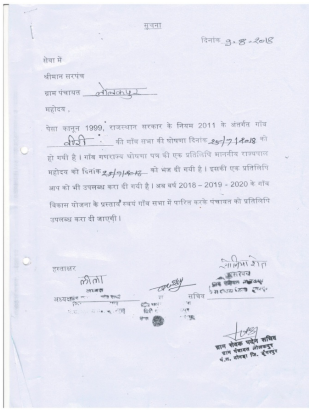

सूचना

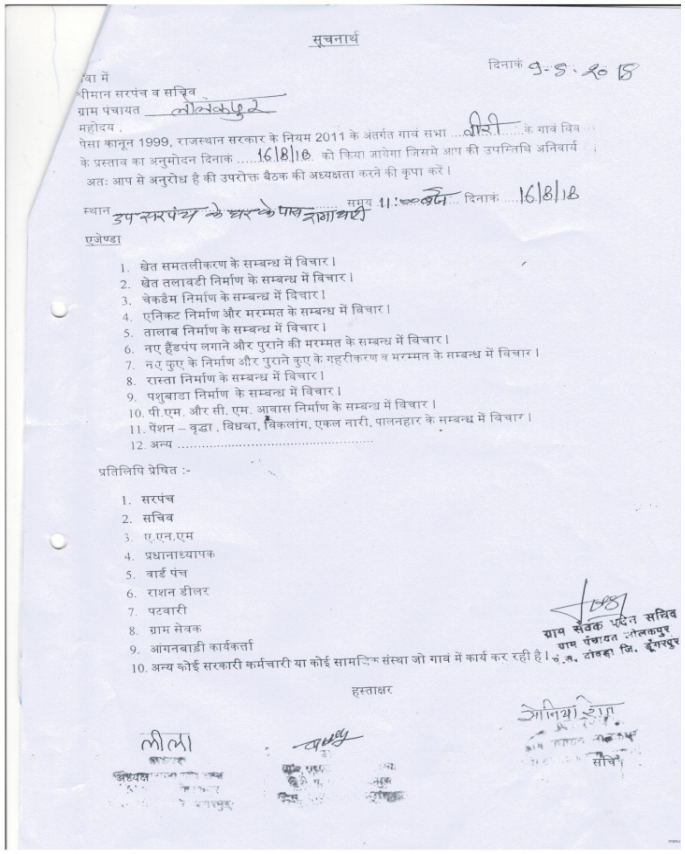

सूचनार्थ

दिनांक 9-8-2018

सेवा में
श्रीमान सरपंच व सचिव
ग्राम पंचायत लोलकपुर
महोदय,
पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गावं सभा ...बीरी... के गावं विक ...
के प्रस्ताव का अनुमोदन दिनांक .....16/8/18. को किया जायेगा जिसमे आप की उपस्तिथि अनिवार्य ...
अतः आप से अनुरोध है की उपरोक्त बैठक की अध्यक्षता करने की कृपा करें।

स्थान उप सरपंच के घर के पास रगाथरी ...... समय 11:00 बजे... दिनांक 16/8/18

एजेण्डा

1. खेत समतलीकरण के सम्बन्ध में विचार।
2. खेत तलावडी निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
3. चेकडैम निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
4. एनिकट निर्माण और मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
5. तालाब निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
6. नए हैंडपंप लगाने और पुराने की मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
7. नए कुए के निर्माण और पुराने कुए के गहरीकरण व मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
8. रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
9. पशुबाडा निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
10. पी.एम. और सी. एम. आवास निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
11. पेंशन – वृद्धा, विधवा, विकलांग, एकल नारी, पालनहार के सम्बन्ध में विचार।
12. अन्य ....

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सरपंच
2. सचिव
3. ए.एन.एम
4. प्रधानाध्यापक
5. वार्ड पंच
6. राशन डीलर
7. पटवारी
8. ग्राम सेवक
9. आंगनबाडी कार्यकर्त्ता
10. अन्य कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सामाजिक संस्था जो गावं में कार्य कर रही है।

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत लोलकपुर
पं.स. दोवडा जि. डूंगरपुर

हस्ताक्षर

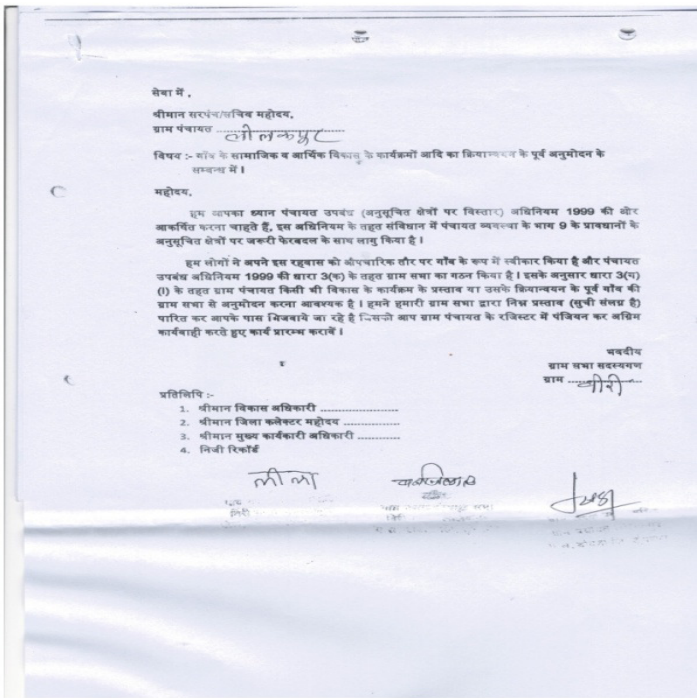

सूचना

सेवा में,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ....लोलकपुर........

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग)(I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम ....बीरी....

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

प्रस्ताव कवरिंग

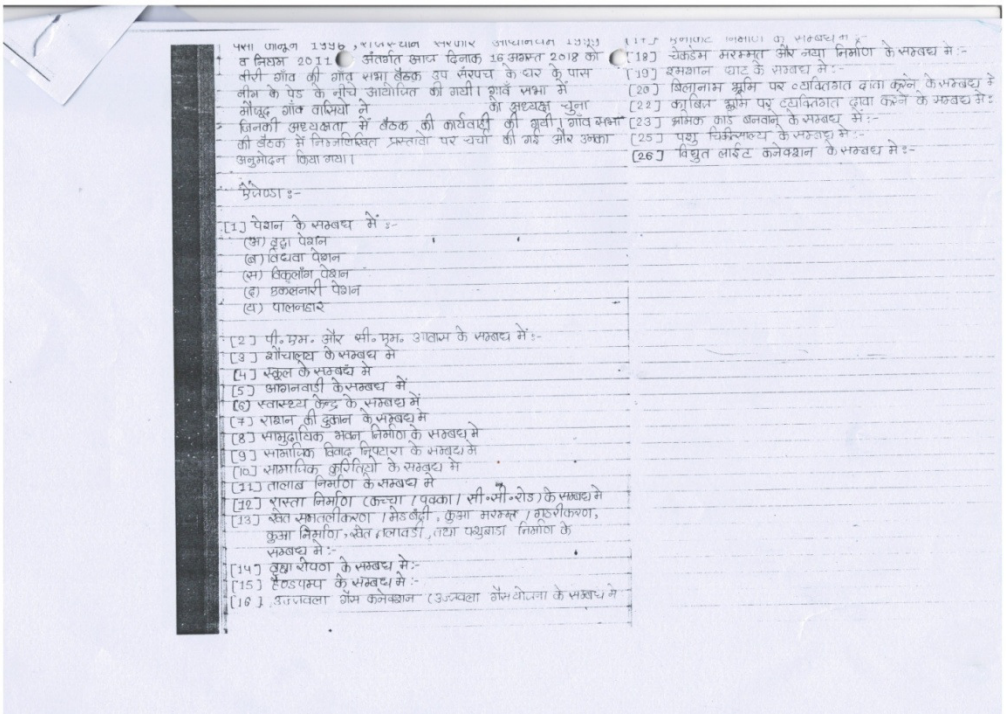

प्रस्ताव प्रथम पेज

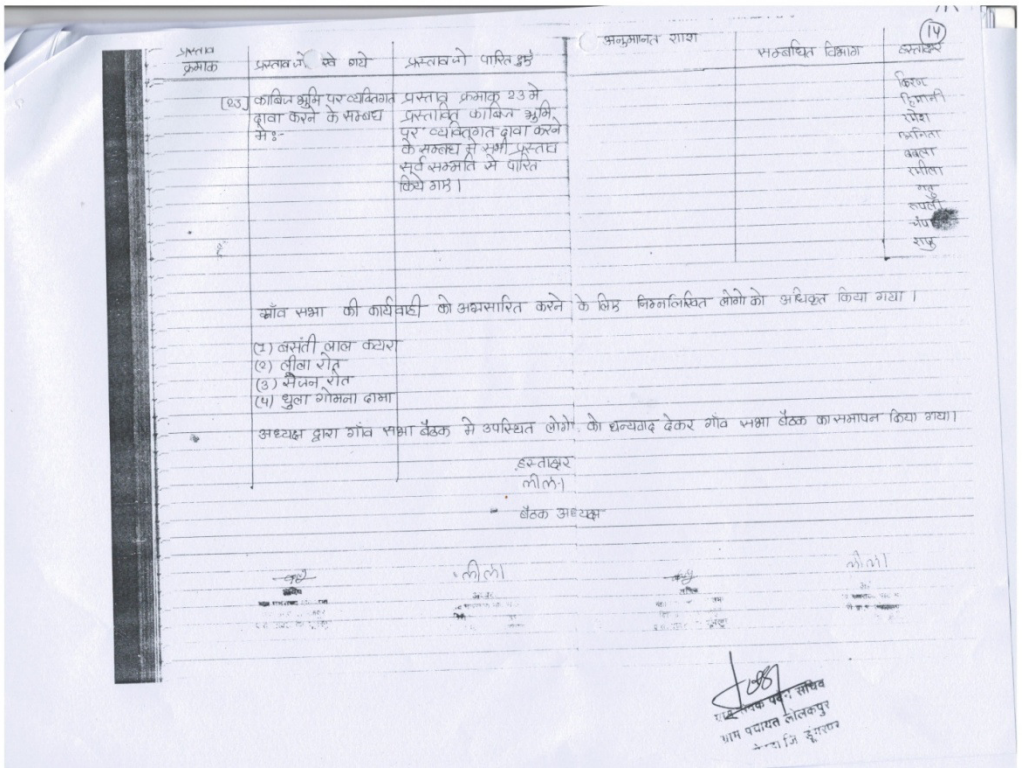

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लैनिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

	नाम	**फोन न.**
1.	कानजी/सोमा रोत	9799923896
2.	लीला/वासुदेव रोत	9571948561
3.	बसंतीलाल/नाना कटारा	7424959042
4.	गौरी/हीरा	
5.	गोमनी/अमरा	
6.	सेजन/कान्हा	